नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म

साभार: हिन्दुस्तान टाईम्स *(12 अक्टूबर, 2017)*

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 18 साल की उम्र के बीच शादी करने वाली लड़कियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए पॉस्को अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानूनों का भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ समन्वय बनाया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जो विधायकों ने कई सालों से नहीं कर पाए थे, यह फैसला एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग पत्नी (लड़की) के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार की परिभाषा को सिर्फ एक साथ नहीं किया है, बल्कि एक विवाहित लड़की के बीच और बलात्कार कानून में अविवाहित लड़की के बीच अनावश्यक और कृत्रिम भेद को दूर किया है।

अब तक, बलात्कार कानून के अनुसार, जहाँ सहमति की उम्र 18 साल है, जिसका अर्थ यह हुआ कि एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है। लेकिन दुर्भाग्य से, दूसरी तरफ कानून ने एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच जो 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच है, शारीरिक संबंध की वकालत भी करता है। यह एक नाबालिग लड़की, जो अपने पति के साथ यौन संबंध को अस्वीकार करने का मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, के लिए काफी क्रूर है।

इस फैसले से पहले भी बलात्कार कानून और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के बीच मतभेद व्याप्त था। 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, लड़की का पति बलात्कारी नहीं है, जिसे आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित किया गया है, लेकिन POCSO अधिनियम की धारा 5(एन) में इसे गंभीर यौन उत्पीड़न कहा गया है। पीओसीएसओ और किशोर न्याय अधिनियम जैसे प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, जो बच्चों, लड़कियों / बाल दुल्हन के अधिकारों की रक्षा करता है, जिन्हें अन्य कानूनों के तहत नाबालिगों के रूप में माना जाता है, उन्हें आईपीसी के तहत कोई संरक्षण नहीं मिला है।

हांलाकि, यहाँ एक यह है कि जब सरकार बाल विवाहों जैसे सामाजिक बुराई को दूर करने और कानून लागू करने के लिए कई कदम उठाये हैं, तो फिर इनके द्वारा बलात्कार कानून में इसी प्रकार का परिवर्तन लाने का विचार क्यों नहीं किया, जबकि दोनों कानून सहमति की उम्र से सहमत नहीं थे।

अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 18 साल की उम्र के बीच शादी करने वाली लड़कियों के अधिकारों को बरकरार रखा है और पॉस्को अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानूनों का भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ समन्वय बनाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 18 से 29 साल की उम्र के बीच भारत में 46% महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले शादी किया है। यह भी अनुमान है कि भारत में लगभग 23 मिलियन नाबालिग दुल्हनें मौजूद हैं।

इससे संबंधित तथ्य

- **क्या है मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म समझा जाएगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने बुधवार को 15 से 18 साल की नाबालिग पत्नी से संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी से छूट देने वाली आईपीसी की धारा 375 के अपवाद (2) को खारिज कर दिया।
- **दुष्कर्म का मुकदमा:** अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म का मुकदमा चल सकता है। मगर कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पर दुष्ककर्म का मुकदमा तभी चलेगा, जब पत्नी एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं कोर्ट का यह फैसला आगे से लागू होगा। पुराने केस इससे प्रभावित नहीं होंगे।
- **एनजीओ इनडिपेंडेट थाट ने उठाई थी आवाज:** एक गैर सरकारी संस्था इनडिपेंडेट थाट ने धारा 375 (2) को शादीशुदा और गैर शादीशुदा 15 से 18 वर्ष की लड़कियों मे भेदभाव करने वाला बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत 15 से 18 वर्ष की नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता था।
- **धारा 375(2) को रद्द करने के लिए दी गयी दलील:** एनजीओ ने कहा था कि नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में आना चाहिए। वकील गौरव अग्रवाल ने कहा, हम 18 साल से कम की किसी लड़की को पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे के रूप में देखते हैं, लेकिन एक बार उसकी शादी हो जाने के बाद उसे ही आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत बच्चा नहीं मानते हैं। यह पूरी तरह से अनुचित है। सच तो यह है कि 15 साल से कम की लड़की को बच्ची के रूप में ही देखा जाना चाहिए, चाहें उसकी शादी हुई हो या नहीं। संसद को बच्चे की रक्षा करनी ही होगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से बालिग होने की उम्र 18 साल तय की गई है उसी तरह से संबंध बनाने के लिए महिला की सहमति की उम्र भी 18 साल लागू होनी चाहिए।
- **सरकार का विरोध:** सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए सामाजिक परिवेश की दुहाई दे कहा था कि गैरकानूनी होने के बावजूद बाल विवाह अभी भी प्रचलित हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
- **वर्तमान कानून:** उल्लेखनीय है कि आईपीसी 375 (2) कानून का अपवाद कहता है कि अगर 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए।

संभावित प्रश्न

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया है। न्यायालय का यह फैसला महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार को कम करने में कहाँ तक कारगर साबित होगा? आपके दृष्टीकोण से क्या यह फैसला बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी कम करने में सहायक साबित होगा? चर्चा कीजिये।

Recently, the Supreme Court has included physical relations with a minor wife in the category of rape. Till what extent will the court's decision prove to be effective in reducing atrocities on women and children? Do you think that this decision will be helpful in reducing social evils like child marriage? Discuss. (200 WORD)